Date: 17 जून 2023

चक्रवात का लैंडफॉल

सिलेबस: जीएस 1 / भूगोल

सदर्भ-

- हाल ही में, चक्रवात बिपरजॉय के लैंडफॉल के दौरान सुर्खियों में रहा इसमें चक्रवात की आईवॉल जो कि सबसे तीव्र हवाओं और वर्षा का क्षेत्र है तट पर आ जाती है। इसके परिणामस्वरूप विनाशकारी हवाएं तूफानी लहरें और व्यापक बाढ़ आ सकती है।

चक्रवात का "लैंडफॉल" क्या है?

- लैंडफॉल (landfall) का मतलब है 'जमीन पर गिरना', अर्थात भयानक और तेजी से भरा हुआ तूफान जब समुद्र तल से टकराता है तो ये स्थिति ही लैंडफॉल कहलाती है। इस वक्त तूफान बारिश और हवा के रूप में जमीन पर अपना रौद्र रूप दिखाने लगता है।
- साइक्लोन लैंडफॉल उस वक्त को संदर्भित करता है , जब एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात **(tropical cyclone)**, भूमि के साथ संपर्क बनाता है।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र के आधार पर हरिकेन या टाइफून के रूप में भी जाना जाता है।

प्रभाव-

- लैंडफॉल से होने वाला नुकसान चक्रवात की गंभीरता पर निर्भर करेगा – इसकी हवाओं की गति से पहचान की जाएगी।
- आईएमडी द्वारा 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान ' के रूप में वर्गीकृत चक्रवात बिपरजॉय के लिए , प्रभाव में कच्चे घरों को व्यापक नुकसान, बिजली और संचार लाइनों का आंशिक व्यवधान, रेल और सड़क यातायात का व्यवधान, मलबे से संभावित खतरा और पलायन की बाढ़ आने से पलायन और महामारी की समस्या हो सकती है।
- इस तरह के नुकसान के पीछे के कारकों में बेहद तेज हवाएं , भारी वर्षा और तूफान शामिल हैं जो तट पर विनाशकारी बाढ़ का कारण बनते हैं।

एक लैंडफॉल कब तक रहता है?

- हवाओं की गति और तूफान प्रणाली के आकार के आधार पर उनकी सटीक अवधि तय की जाती चक्रवात बिपरजॉय की भूमि प्रक्रिया लगभग पांच से छह घंटे तक चलने की उम्मीद है , चक्रवात लगभग अगले 24 घंटों में लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
- नमी की आपूर्ति में तेज कमी और सतह घर्षण में वृद्धि के कारण चक्रवात भूमि पर जाने के बाद अपनी तीव्रता खो देते हैं।
- जबकि लैंडफॉल अक्सर चक्रवातों के सबसे विनाशकारी क्षण होते हैं, वे अपने अंत की शुरुआत को भी चिह्नित करते हैं।

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या हैं?

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे हैं जो मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में विकसित होते हैं। वे पृथ्वी पर सबसे विनाशकारी तूफान हैं। ध्यातव्य है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5° से 8° अक्षांशों वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरिऑलिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्राय: अभाव रहता है।
- ITCZ के प्रभाव से निम्न वायुदाब के केंद्र में विभिन्न क्षेत्रों से पवनें अभिसरित होती हैं तथा कोरिऑलिस बल के प्रभाव से वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करती हुई ऊपर उठती हैं। फलत: वृत्ताकार समदाब रेखाओं के सहारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है।
- व्यापारिक पूर्वी पवन की पेटी का अधिक प्रभाव होने के कारण सामान्यत: इनकी गति की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है।

- (ये चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते हैं। कभी-कभी ये एक ही स्थान पर कई दिनों तक स्थायी हो जाते हैं तथा तीव्र वर्षा करते हैं।)
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के स्थान और ताकत के आधार पर अलग-अलग नाम होते हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंसक तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों में चले जाते हैं जो तेज गति की हवाओं, भारी वर्षा और तूफान के कारण बड़े पैमाने पर विनाश लाते हैं।
- यह सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है।
- उन्हें हिंद महासागर में चक्रवात , अटलांटिक में तूफान , पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विली के रूप में जाना जाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Rajiv Pandey

22 वां विधि आयोग

सिलेबस: मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन- II शासन और संविधान

संदर्भ में

- विधि आयोग ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विचार पर जनता से विचार मांगने का फैसला किया है।

प्रमुख बिन्दु-

- 20 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था। 20 फरवरी 2023 का इसका कार्यकाल खत्म हो गया था , लेकिन सरकार ने 31 अगस्त 2024 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया। विधि आयोग का कार्यकाल आमतौर पर तीन साल का होता है।

22वें विधि आयोग का गठन

अध्यक्ष :

- आयोग की अध्यक्षता कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश **ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं**।

बिन्दु :

- आयोग, अन्य बातों के अलावा , "उन **कानूनों की पहचान** करेगा जिनकी **अब आवश्यकता या प्रासंगिकता नहीं है** और **जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है**; **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में मौजूदा कानूनों की** जांच करें और **सुधार और** सुधार **के तरीकों का** सुझाव दें और ऐसे कानूनों का सुझाव भी दें जो निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने और **संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो** सकते हैं। और "सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करें ताकि **उन्हें सरल बनाया जा** सके और **विसंगतियों, अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर किया जा** सके"।आयोग कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गौर कर रहा है जैसे **समान नागरिक संहिता** (यूसीसी) **का कार्यान्वयन तथा** एक **साथ चुनाव कराना**।

मुद्दे और आलोचनाएं-

21 वें विधि आयोग का निर्णय:

- 21 वें आयोग ने 2018 में एक परामर्श पत्र जारी किया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा **गया था कि उस स्तर पर एक समान नागरिक संहिता "न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय" है**।

कारण:

- एक सुविचारित दस्तावेज में, इसने तब तर्क दिया था कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की पहल का ध्यान विभिन्न धर्मों को **नियंत्रित करने वाले कानूनों में एकरूपता लाने के प्रयास के बजाय** सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना होना चाहिए।
- इसमें **एकरूपता पर भेदभाव न करने पर जोर दिया गया।**
- इसने यह भी माना कि **समाज पर नियमों का एक सेट लागू करने के बजाय** विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने **जैसे** व्यक्तिगत कानून के पहलुओं को नियंत्रित करने के विविध साधन हो सकते हैं।

- 21 वें आयोग के अनुसार, इसके लिए भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाना होगा, विशेष रूप से जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं, और समानता में निहित कुछ व्यापक मानदंडों को अपनाना होगा।

22 वां आयोग:-

- 22 वें आयोग ने दावा किया है कि यूसीसी पर पिछले पैनल द्वारा इसी तरह के विचार मांगे जाने के बाद से साल बीत चुके हैं , और **विभिन्न राय हासिल करने के लिए** एक नए प्रयास की आवश्यकता थी।

आलोचक:-

- आलोचकों के अनुसार , समान नागरिक संहिता के विचार पर जनता से विचार मांगने का विधि आयोग का निर्णय एक **राजनीतिक पहल प्रतीत होता है जिसका** उद्देश्य संभावित विभाजनकारी मुद्दे को ध्यान में लाना है।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में

यूसीसी क्या है?

- समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा।

यूसीसी का सुझाव देने वाले संवैधानिक प्रावधान:-

अनुच्छेद 44:-

- संविधान का यह अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का संदर्भ देता है और कहता है , "राज्य **भारत के पूरे राज्यक्षेत्र** में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों **से संबंधित अध्याय में** है और इसलिए इसे प्रकृति में सलाहकार माना जाता है।

अनुच्छेद 37:-

- इसमें कहा गया है कि **समान नागरिक संहिता** (अन्य निर्देशक सिद्धांतों के साथ) की दृष्टि भारतीय संविधान में एक लक्ष्य के रूप में निहित है**, जिसके लिए राष्ट्र को प्रयास करना चाहिए**, लेकिन **यह मौलिक अधिकार या संवैधानिक गारंटी नहीं है।**
- कोई भी समान नागरिक संहिता की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालतें इस मामले पर राय नहीं दे सकती हैं।

यूसीसी के पक्ष में तर्क-

एकरूपता-

- समान संहिता पूरे **राष्ट्र में समान नागरिक सिद्धांतों** को लागू करने में सक्षम बनाएगी।
- यदि जब पूरी आबादी समान कानूनों का पालन करना शुरू कर देगी, तो संभावना है कि **यह लोगों में अधिक शांति लाएगा और एकरूपता को बढ़ावा मिलेगा ।**

धर्मनिरपेक्षता और महिलाओं के अधिकार:-

- यूसीसी **धार्मिक आधार पर** लैंगिक भेदभाव **और** समग्र भेदभाव **को समाप्त करने** और राष्ट्र **के धर्मनिरपेक्ष तत्व को मजबूत करने** में मदद करेगा।
- इसलिए, यूसीसी सभी समुदायों को गरिमापूर्ण जीवन के लिए महिलाओं के अधिकारों और उनके शरीर के साथ-साथ उनके जीवन पर नियंत्रण की गारंटी देने के लिए एकजुट कर सकता है।

अन्यायपूर्ण रीति-रिवाजों और परंपराओं को समाप्त करना:-

- एक तर्कसंगत और एकीकृत व्यक्तिगत कानून समुदायों में प्रचलित **कई बुरे, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन रीति-रिवाजों** और परंपराओं को खत्म करने में मदद करेगा।

प्रशासन में आसानी:-

- यूसीसी के कारण **भारत की विशाल जनसंख्या आधार को प्रशासित करना आसान बना देगा**।

ऐतिहासिक रूप से, सभी समुदायों ने अलग-अलग कानूनों की मांग नहीं की:-

- खोजा और कटची मेमन **जैसे कुछ मुस्लिम समुदाय** अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे।

वैश्विक परिदृश्य:-

- अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को किसी भी उन्नत मुस्लिम देश में मान्यता नहीं दी गई थी।
- **उदाहरण के लिए,** तुर्की और मिस्र **में**, इन देशों में किसी भी अल्पसंख्यक को अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानून रखने की अनुमति नहीं हैं ।
- कई देशों में समान नागरिक संहिताएं हैं।

Yojna IAS योजना है तो सफलता है

यूसीसी के खिलाफ दलीलें-

विविधता और बहुसंस्कृतिवाद में बाधा:-

- भारतीय समाज की विविध और बहुसांस्कृतिक होने के रूप में एक अनूठी पहचान है , और एकीकृत कानून इस राष्ट्र की अनूठी विशेषताओं को कमजोर कर सकता है।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:-

- धार्मिक निकाय इस आधार पर समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं कि यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होगा जो **संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा**।

सांप्रदायिक अशांति का कारण बन सकता है:-

- यह **अल्पसंख्यकों के लिए एक अत्याचार** होगा और जब इसे लागू किया जाएगा तो देश में बहुत अशांति आ सकती है।
- **ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड** ने कहा कि विवाह और विरासत से संबंधित कानून सदियों से धार्मिक आदेशों का हिस्सा थे।

आगे का रास्ता-

- यह संभव है कि किसी भी धर्म को ठेस पहुचाये बगैर एक समान संहिता अपनाई जा सकती है , लेकिन यह अवधारणा **अल्पसंख्यकों के वर्गों के बीच डर पैदा करती** है कि उनके धार्मिक विश्वासों, जिन्हें उनके व्यक्तिगत कानूनों के स्रोत के रूप में देखा जाता है को कमजोर किया जा सकता है।
- **बुनियादी सुधारों को प्राथमिकता दी जा सकती** है – जैसे कि सभी समुदायों और लिंगों के लिए विवाह योग्य आयु के रूप में 18 होना।
- 'बिना किसी भेदभाव के तलाक की प्रक्रिया शुरू करना और टूटने के आधार पर विवाह के विघटन की अनुमति देना , और संपत्ति के तलाक के बाद विभाजन के लिए सामान्य मानदंड होना चाहिए।
- प्रत्येक समुदाय के कानूनों के भीतर , पहले समानता **और** गैर-भेदभाव **के सार्वभौमिक सिद्धांतों को शामिल** करना और रूढ़ियों के आधार पर प्रथाओं को समाप्त करना होगा।

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com